12.07.2024	वाद पत्र संख्या 82/2021 GCMS NO. 2021/166 उनवानी टेकचन्द शर्मा बनाम बद्रीप्रसाद आदि अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 व धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.07.2024	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में सुनवाई हेतु अधिवक्ता वादी को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर अधिवक्ता वादी हाजिर आये। अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली की गत आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर पाया कि वादी को प्रतिवादीगण की तामील करवाये जाने हेतु बार–बार आदेश दिये जाने के उपरान्त भी वादी ने दावा दायरी से लेकर आज तक प्रतिवादीगण की तामील नहीं करवाई है। इससे यह जाहिर होता है कि वादी को प्रतिवादीगण की तामील कराने में कोई रूची नहीं है। बार बार आदेश दिये जाने के बावजूद भी पूर्व आदेशिकाओं की पालना बिना किसी उचित कारण के जानबूझ के नहीं की जा रही है। अतः वादीग का वाद तामील के अभाव में आदेश 9 नियम 5 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। 12/7/24 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.) (सविता शर्मा) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0) उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी	